

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प0 5(9)नविवि/2020

जयपुर, दिनांक:-

24 DEC 2020

आदेश

राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवंपथ शाखा) नियम, 1954 एवं राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा(भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1973 (उक्त नियमों को नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) के अभियन्ताओं पर आज्ञा दिनांक प0 1(10)नविआ/1981 दिनांक 28.2.1997 द्वारा प्रभावी किया गया है) के नियम 24-ए उप नियम (II)(ए) के अन्तर्गत इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प0 1(15)नविआ/1994 पार्ट दिनांक20.10.2005 के द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 17.12.2020 की अनुशंसानुसार निम्नलिखित अधिशाही अभियन्ताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पे मेट्रिक्स के लेवल-19 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

1.

क्र.स.	नाम अधिकारी सर्वश्री—	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1	श्री महेश चन्द्र गोयल	2016-17	
2	श्री राकेश शरण गर्ग	2016-17	
3	श्री राकेश परिहार	2016-17	
4	श्री संजीव कुमार शर्मा	2016-17	

2.

क्र.स.	नाम अधिकारी सर्वश्री—	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1	श्री रविन्द्र प्रकाश माथुर	2018-19	
2	श्री ज्ञानेश्वर व्यास	2018-19	
3	श्री भंवरू खॉ	2018-19	

3.

क्र.स.	नाम अधिकारी सर्वश्री—	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1	श्री विनीत कुमार सक्सैना	2020-21	रिक्ति दिनांक 1.4.2020
2	श्री अनित माथुर	2020-21	रिक्ति दिनांक 1.7.2020

श्री अरविन्द माथुर के वर्तमान में निलम्बित होने के कारण उनके पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये जा रहे हैं।

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारियों में से सेवा निवृत्त अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य अधिकारी अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भिजवायेंगे। इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

उक्त पदोन्नति आदेश माननीय न्यायालयों में लम्बित याचिका संख्या 2924/2005, 6281/2008, 2376/2008, 16754/2017, 3884/2018, 16553/2015, 3657/2017, 3653/2017, 3640/2015 तथा अन्य लम्बित याचिकाओं के अध्यक्षीन जारी किये जाते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
4. परियोजना निदेशक, आर0यू0आई0डी0पी0, राजस्थान जयपुर।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, -----(समस्त)
7. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी-----
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम